

## Case name

State of Punjab v. Span Motels Pvt. Ltd (2002)

## Case

पंजाब राज्य बनाम स्पैन मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर.

## Brief Summary

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पैन मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड को अभिनिर्धारित किया। लिमिटेड पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि को पट्टे पर देकर सार्वजनिक विश्वास के पेटेंट उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने कंपनी को अनुकरणीय हर्जाने के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने और कंपनी की कार्रवाइयों से प्रभावित ब्यास नदी क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिए पंजाब राज्य को विशेष हर्जाने की राशि भेजने का निर्देश दिया।

## Main Arguments

मुख्य तर्क मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के इर्द-गिर्द घूमते थे और क्या स्पैन मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर उसकी गतिविधियों के लिए अनुकरणीय नुकसान लगाया जाना चाहिए जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में प्रदूषण का कारण बनी थी।

## Legal Precedents or Statutes Cited

अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए "प्रदूषक भुगतान" सिद्धांत का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों को बहाली और मुआवजे की लागत वहन करनी चाहिए।

## Quotations from the court

अदालत ने कहा, "मोटल के वकील या किसी और के लिए उन निष्कर्षों को उलटने या प्रकृति या चरित्र या मोटल की गतिविधियों की वैधता या औचित्य पर पुनर्विचार करने का दावा करना अस्वीकार्य था।" अदालत ने यह भी कहा कि अनुकरणीय हर्जाना लगाने का उद्देश्य और उद्देश्य दूसरों को किसी भी तरह से प्रदूषण फैलाने से रोकना था।

## Present Court's Verdict

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए-कंपनी को अनुकरणीय हर्जाने के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।-कंपनी के कार्यों से प्रभावित ब्यास नदी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए कंपनी को पंजाब राज्य को विशेष हर्जाने की राशि भेजने का आदेश दिया।-कंपनी को पट्टे पर दिए गए मोटल के क्षेत्र में एक चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया।

## Conclusion

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पैन मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड को अभिनिर्धारित किया। सार्वजनिक विश्वास के पेटेंट उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लिमिटेड ने कंपनी को अनुकरणीय हर्जाने के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने के साथ-साथ कंपनी की कार्रवाइयों से प्रभावित ब्यास नदी क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिए पंजाब राज्य को विशेष हर्जाने की राशि भेजने का निर्देश दिया।